

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***  
**\*(पत्रांक-257/2025 दिनांक 14.09.2025)\***  
**\*दिनांक-14.09.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**  
**द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

\*थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा, चोरी करने की योजना बना रहे तीन शातिर चोरों को मय चोरी के उपकरणों (हथौड़ी, पेचकस, हेक्सा ब्लेड, छड़िया, सुम्ही, पिलास आदि) के साथ किया गया गिरफ्तार-\*

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13/14.09.2025 की मध्य रात्रि में थाना को0 पडरौना पुलिस टीम को थाना क्षेत्र में कुछ शातिर चोरों के होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगाई गई। जिसके क्रम में पुलिस टीमों द्वारा घेराबन्दी कर ग्राम जंगल विशुनपुरा मंशाछापर रोड गुमटी के पास तीन शातिर चोरों 1- हसनैन अन्सारी पुत्र रहीमुल्लाह अन्सारी निवासी बंजारापट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद-कुशीनगर, 2- फिरोज अन्सारी पुत्र हाशिम अन्सारी निवासी बसहिया बनवीरपुर, 3- भोलू मद्धेशिया पुत्र स्व0 गौरीशंकर मद्धेशिया निवासी साहबगंज उत्तरी, कानू टोला, थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर, को मौके से चोरी करने के उपकरणों एक अदद हथौड़ी, एक अदद टार्च, एक अदद पिलास, दो अदद पेचकस, दो हेक्सा ब्लेड, एक अदद सुम्ही, एक अदद छड़िया के साथ को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना को0 पडरौना पर मु0अ0सं0 496/2025 धारा 313 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ का विवरण-\***

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमलोग गुमटी में चोरी की योजना बना रहे थे। अपने साथ रखे उपकरणों(हथौड़ी, टार्च, पिलास, पेचकस, हेक्सा ब्लेड, सुम्ही, छड़िया) का उपयोग हमलोग गुमटियों व अन्य वस्तुओं को तोड़ने और चोरी के लिए करते हैं।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***



Edit with WPS Office

मु0अ0सं0 496/2025 धारा 313 बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1- हसनैन अन्सारी पुत्र रहीमुल्लाह अन्सारी निवासी बंजारापट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद- कुशीनगर
- 2- फिरोज अन्सारी पुत्र हाशिम अन्सारी निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
- 3- भोलू मद्धेशिया पुत्र स्व0 गौरीशंकर मद्धेशिया निवासी साहबगंज उत्तरी, कानू टोला, थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

एक अदद हथौड़ी, एक अदद टार्च, एक अदद पिलास, दो अदद पेचकस, दो हेक्सा ब्लेड, एक अदद सुम्ही, एक अदद छड़िया

**\*अभि0 हसनैन अंसारी का अपराधिक इतिहास-\***

- 1- मु0अ0सं0 154/2020 धारा 147/188/323/336/427/452/504/506 भा.द.वि. व 51बी आ0प्र0अधिनियम थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
- 2- मु0अ0सं0 82/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
- 3- मु0अ0सं0 61/2022 धारा 323/376(1)/506 भा.द.वि. व ¾ पाक्सो एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -\***

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हर्षवर्धन सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 चन्दन प्रजापति चौकी प्रभारी कस्बा थाना पडरौना जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी सुबाष चौक थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. म0उ0नि0 प्रगति जायसवाल चौकी प्रभारी अस्थाई रेलवे चौकी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 रविप्रकाश सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 चन्द्रमा बिन्द थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का0 विजय कुमार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का0 रईश अहमद थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर



**\*थाना कसया पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम आदि के मुकदमें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.09.2025 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0560/2025 धारा 65(1), 87, 137(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक्ट में वांछित अभियुक्त खुशबुद्दीन अंसारी उर्फ गोलू पुत्र असलम निवासी ग्राम लाला बरडीहा थाना खुखुंदु जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 0560/2025 धारा 65(1), 87, 137(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक्ट

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

खुशबुद्दीन अंसारी उर्फ गोलू पुत्र असलम निवासी ग्राम लाला बरडीहा थाना खुखुंदु जनपद देवरिया

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रघुनाथ गौतम थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. का0 रामजनम यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*थाना जटहाँ बाजार पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2023,2024 के कुल 55 मुकदमों में बरामद अवैध देशी,अंग्रेजी व कच्ची शराब आदि कुल 418.9 लीटर (कुल अनुमानित कीमत लगभग 87,150/- रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर डा0 श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में, थानाध्यक्ष थाना जटहाँ बाजार द्वारा थाना जटहाँ बाजार पर वर्ष 2023,2024 के कुल 55 मुकदमों में बरामद अवैध अंग्रेजी ,देशी व कच्ची शराब को नष्ट कराने का आदेश मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट



कुशीनगर स्थान पड़रौना कुशीनगर प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 13.09.2025 को श्री शशिकान्त अभियोजन अधिकारी जनपद कुशीनगर, श्री संतोष (लिपिक) कार्यालय लिपिक माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पड़रौना, थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना जटहाँ बाजार, हे0मो0 संतोष कुमार राय, पैरोकार का0 अमित यादव आदि की उपस्थिति में थाना परिसर में जे0सी0बी0 से गढ़ा खुदवा कर कुल 55 मुकदमों में बरामद अवैध देशी व कच्ची तथा अंग्रेजी शराब को नियमानुसार नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 55 मुकदमा में कुल 418.9 लीटर (बरामद अवैध अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब) जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 87,150/- रुपये है।

**\*जिनके उपस्थिति में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-\***

1. डा0 श्री अजय कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी सदर जनपद कुशीनगर
2. श्री शशिकान्त अभियोजन अधिकारी जनपद कुशीनगर
3. श्री संतोष कार्यालय लिपिक मा0 न्यायालय पड़रौना कुशीनगर
4. श्री आलोक कुमार थानाध्यक्ष थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
5. हे0मो0 संतोष कुमार राय थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
6. का0 अमित यादव (न्यायालय पैरोकार पड़रौना) जनपद कुशीनगर

**\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 38 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-54 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-61, व्यक्ति-201
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-42)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

